भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1040

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

पढ़ने-लिखने में अक्षम व्यक्तियों से ड्राइविंग लाइसेंस वापस लेना

1040. श्री विद्युत वरण महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय से अवगत है जिसमें पढ़ने-लिखने में अक्षम व्यक्तियों को एक संभावित खतरा मानते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के अनुदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पढ़ने-लिखने में अक्षम चालक ही राजमार्गों पर होने वाली जानलेवा दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर इस संबंध में कोई कानून लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने 2019 की एस.बी. दीवानी रिट याचिका सं. 3926 में पारित अपने आदेश दिनांकित 24.05.2019 के माध्यम से राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि अनपढ़ व्यक्तियों जो पढ़ने और लिखने में असमर्थ हैं, को जारी किये गए हल्के मोटर वाहनों के लिए लाइसेंस रद्द किए जाएं।

(ग): मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ): परिवहन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त दूसरे ढंग से पात्र बेरोजगार युवाओं के लिए प्रतिबंध लगाती है और इसलिए मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त को हटाने का फैसला किया है।

*****